

आवश्यक
नगरपालिका आम चुनाव, 2022



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या -न.नि.50-229/2022 - 4592

प्रेषक,

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक - 30.9.22

विषय : नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के निमित्त पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 3923 दिनांक 15.09.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा नगरपालिका के वार्ड पार्श्व के अतिरिक्त मुख्य पार्श्व एवं उप मुख्य पार्श्व के प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किये जाने के कारण नगरपालिका निर्वाचन में इसकी वृहदता, जटिलता एवं संवेदनशीलता तथा ई.वी.एम. से कराये जा रहे मतदान को दृष्टि में रखते हुए सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति हेतु मानक सिद्धान्त के संबंध में विस्तृत निदेश दिये गये थे।

त्योहार आदि को देखते हुये सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में आयोग द्वारा पुलिस मुख्यालय के पुलिस पदाधिकारियों के साथ सम्यक् रूप से विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं, जो निम्नवत् हैं :-

1. (क) एक एवं दो मतदान केन्द्र वाले भवनों पर 01 पदाधिकारी, 3 सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की जाय।
(ख) वैसे मतदान भवन जिनमें दो से अधिक मतदान केन्द्र हों प्रत्येक अतिरिक्त मतदान केन्द्रों पर 2 सशस्त्र बल की वृद्धि करते हुये प्रतिनियुक्ति की जाय।
2. प्रत्येक **तीन मतदान केन्द्र पर एक पीसीसीपी** रहेंगे जो किसी एक मतदान भवन पर स्टैटिक हो जायेंगे।
3. प्रत्येक **चार भवन पर एक सेक्टर** रहेंगे
4. प्रत्येक **नगर पंचायत के चार वार्ड पर एक**, प्रत्येक **नगर परिषद के तीन वार्ड पर एक**, प्रत्येक **नगर निगम के दो वार्ड पर एक** तथा **पटना निगर निगम के प्रत्येक वार्ड पर एक ई.वी.एम. कलस्टर** होंगे।
5. भारत निर्वाचन आयोग के मानक के अनुरूप प्रत्येक **बज्रगृह की चौबीसों घंटे त्रुटिरहित सुरक्षा हेतु कम-से-कम 2/8 के आधार पर तीन सेक्शन सुरक्षा बल** लगायी जायेगी।
6. आवश्यकतानुसार मतदान के दो दिन पूर्व से मतदान के दिन तक 'चेक पोस्ट', 'बोर्डर सिलींग', नदी गश्त, Vulnerable Points आदि पर पैट्रोलिंग करायी जायेगी।

30.9.22

10/10/22

7. उपरोक्त के अतिरिक्त मतगणना स्थल पर विधि व्यवस्था संधारित करने हेतु बहु स्तरीय सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।

उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था न्यूनतम रूप से निदेशित किये गये हैं। स्थानीय सुरक्षा परिस्थिति का आकलन कर आवश्यकतानुसार समुचित/अधिक सुरक्षा बल लगायी जाय।

अनुरोध है कि उक्त आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय, ताकि निष्पक्ष, स्वच्छ एवं शान्तिपूर्ण ढंग से नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 सम्पन्न कराया जा सके। तदनुसार सुरक्षा बल प्रतिनियुक्ति योजना (Force Deployment Plan) से आयोग को अधिकतम दिनांक 05.10.2022 तक अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
30/09/22
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-229/2022 - 4592

पटना, दिनांक - 30.9.22

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को पत्र आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

30/09/22
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-125/2022 - 4592

पटना, दिनांक - 30.9.22

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/09/22
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-125/2022 - 4592

पटना, दिनांक - 30.9.22

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/09/22
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-125/2022 - 4592

पटना, दिनांक - 30.9.22

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/09/22
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-229/2022 - 4592

पटना, दिनांक - 30.9.22

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/09/22
सचिव।